बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री अवधेश कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, शिवहर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार अग्रिम योजना अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा प्रतिवेदित आरोप यथा बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर रहना तथा खोज किये जाने पर उपस्थित नहीं होना, लोक सभा आम चुनाव के अवसर पर मतगणना हॉल के निर्माण हेतु नक्शा समर्पित करने में लापरवाही बरतना, अपने मूल कार्यस्थल से कार्य के प्रति अभिरूचि नहीं रखना तथा असंयमित भाषा का प्रयोग करने जैसा आरोप के लिए दोषी है, जैसे कि आरोप प्रपत्र 'क' में अंतरविष्ट है । इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि श्री अवधेश कुमार तिवारी के विरूद्ध उक्त आरापों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. उक्त आलोक में श्री तिवारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही विभागीय संकल्प ज्ञापांक–854 (भ०) दिनांक–22.01.2015 द्वारा चलायी गयी, जिसमें मुख्य अभियंता, (निरूपण) भवन निर्माण विभाग को संचालन पदाधिकारी, एवं सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री उमेश कुमार मंडल, सहायक अभियंता, निरूपण अंचल, संख्या–1, भवन निर्माण विभाग,पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । विभागीय कार्यवाही में सुनवाई संपन्न कर जांच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, निरूपण, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–3163 दिनांक–31.07.2015 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है ।

3. जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष विभागीय पक्ष को ठीक से नहीं रखा गया है, जिसके कारण विभागीय कार्यवाही को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–18 (1) के तहत पुनः आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी मुख्य अभियंता, निरूपण पूर्व के भांति रहेंगे तथा सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री मलय कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता, निरूपण अंचल– संख्या–01, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. विभागीय कार्यवाही पुनः आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21.10.16

(उमेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–भवन–11/आरोप (सीतामढ़ी) –36/2014 10380(भ) पटना,दिनांक– 24.10.16

सम्पुष्ट माध्यम प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता,निरूपण, भवन निर्माण विभाग,पटना,/ श्री अवधेश कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल, शिवहर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार अग्रिम योजना अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना / श्री मलय कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता, निरूपण अंचल–01, पटना–सह प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. श्री मलय कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता, निरूपण अंचल–01, पटना–सह प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे पूर्व प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी से सभी वांछित अभिलेख प्राप्त कर विभागीय पक्ष को संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

3. श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, निरूपण अंचल, संख्या–1 सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बांका को निदेशित किया जाता है कि उक्त मामले से संबंधित प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के रूप में प्राप्त सभी अभिलेख श्री मलय कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता, निरूपण अंचल–01, पटना–सह प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को अविलम्ब हस्तगत करायें ।

21.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–भवन–11/आरोप (सीतामढ़ी)–36/2014 10380 (अ)/पटना,दिनांक– 24-10-16

सम्पुष्ट माध्यम प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

21.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–भवन–11/आरोप (सीतामढ़ी)–36/2014 10380 (अ)/पटना,दिनांक– 24-10-16

सम्पुष्ट माध्यम प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/ अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/ सभी मुख्य अभियता, भवन निर्माण विभाग,बिहार,पटना / सभी उप सचिव/ अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल,भवन निर्माण विभाग, पटना / भवन अंचल, मुजफ्फरपुर/ सभी अवर सचिव/ आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित ।

21.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

21.10.16